समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–74 / 2023

उपस्थित

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादिनी– श्रीमती विनीता देवी, ग्राम / पोस्ट जुणगा, डुंडा, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक–23 / 08 / 2023
निर्णय का दिनांक– 18 / 09 / 2023

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती विनीता देवी, ग्राम / पोस्ट जुणगा, डुंडा, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23 / 08 / 2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या यूके24120413801, भार एक किलोवाट, श्रेणी एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक से संबंधित है और श्री नत्थी लाल के नाम से संचालित है। प्रार्थनापत्र में परिवादिनी का कहना है कि उक्त संयोजन पर खपत से कहीं ज्यादा धनराशि का बिल पूर्व में जारी किया गया। इसका भुगतान न होने पर संयोजन काट दिया गया। परिवादिनी का कहना है कि उक्त संयोजन के संबंध में उन पर जो देनदारी दिखाई जा रही है, वह उसका भुगतान करने में असमर्थ है। परिवादिनी का मंच से अनुरोध है कि उन्हें नया संयोजन निर्गत कराया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा विपक्षी विभाग को पत्रांक 146 / 2023 / वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम / दिनांक 24 / 08 / 2023 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक–28 / 08 / 2023 तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग की ओर से पत्रांक–130 / वि0वि0उ0ख0चि0 / दिनांक–26 / 08 / 2023 के मार्फत आख्या मंच के सम्मुख पेश की गई। इसमें विपक्षी विभाग के उपखंड अधिकारी चिन्यालीसौंड ने अवगत कराया है कि उक्त संयोजन दिनांक–31 / 03 / 2001 को जारी किया गया था। संयोजन निर्गत तिथि से मीटर बदले

18/09/23 18/9/23 18/09/23

जाने की तिथि दिनांक–13/05/2016 तक आईडीएफ के बिल निर्गत किए गए। दिनांक–28/08/2023 को परिवाद की सुनवाई के दौरान परिवादिनी की ओर से उनके प्रतिनिधि सुनील कुमार ने पैरवी की, जबकि विपक्षी विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी चिन्यालीसौड़ सूर्यप्रकाश पोखरियाल ने तर्क पेश किए। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विभाग से कहा गया कि **माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सामान्य आपूर्ति शर्तों के बिंदु–4 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दो बिलिंग चक्रों से ज्यादा आईडीएफ, एडीएफ, आरडीएफ के बिल जारी करने का अनुज्ञापी को अधिकार नहीं है। माननीय आयोग की टैरिफ आर्डर में दी गई सामान्य आपूर्ति शर्तों के बिंदु–4 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है।**

4–त्रुटिपूर्ण मीटर (एडीएफ/आईडीएफ), मीटर नहीं पढ़ा/पहुंच नहीं (एनए/एनआर) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (आरडीएफ) के मामले में बिलिंग–

–एन0ए0/एन0आर0 मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अनंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात अनुज्ञापी को अनंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (एडीएफ), त्रुटिपूर्ण मीटर (आईडीएफ) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (आरडीएफ) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाए जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किए जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जाएगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम तीन महीने की अवधि अथवा द्विमासिक बिलिंग की दशा में दो बिलिंग साईकिल हेतु उदग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात अनुज्ञापी को सही किए गए मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। **इस विषय में माननीय उत्तराखंड विद्युत लोकपाल के निर्णय 26/2018 दिनांक 15/10/2018 (श्री विवेक शील बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत वितरण खंड अर्बन उत्तराखंड पावर कारपोरेशन हरिद्वार) का संदर्भ लेना भी उचित होगा।**

18/09/23

उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

18/9/23.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi

तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

18/09/23

न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

दिनांक–28/08/2023 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा कहा गया कि दिनांक–19/07/2016 के उपरांत मीटर बदलने की तिथि से संयोजन के अस्थायी विच्छेदन की तिथि तक परिवादिनी द्वारा उपभोग की गई विद्युत के ही बिल की देयता उस पर बनती है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि वह आई0डी0एफ मीटर की बिलिंग के संबंध में माननीय आयोग द्वारा दी गई उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप संशोधित बिल प्रस्तुत करे। विपक्षी विभाग द्वारा मंच के आदेशानुसार संशोधित बिल मंच के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि परिवादिनी का बिल रूपये 10,3306.00 (एक लाख तैंतीस हजार छह) से संशोधित कर रूपये 32,058.00 (बत्तीस हजार अट्ठावन) का बनाया गया है। मंच ने इस पर सहमति प्रकट की।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के बिल को संशोधित कर दिया गया है, जिसका भुगतान परिवादिनी के स्तर पर किया जाना शेष है। यदि परिवादिनी उक्त संयोजन स्थल/परिसर में ही नया संयोजन लेना चाहती हो, तो इसके लिए उसे संशोधित बिल की धनराशि का भुगतान करते हुए विपक्षी विभाग को आवेदन करना होगा।

:: आदेश ::

परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार संशोधित बिल परिवादिनी को उपलब्ध करा दे। अनुपालन आख्या 30 दिवसों के भीतर मंच के सम्मुख उपलब्ध कराई जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

18/09/23
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

18/9/23
(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 18/09/23
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी